न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 74/2023

1 बीरबल पुत्र महोदवा उम्र 63 साल
2 सांवल पुत्र महादेवाचा उम्र 59 साल
3 पोकर उम्र 57 साल पुत्र ईशरा
4 रामोतार उम्र 55 साल पुत्र ईशरा
5 सीमाराम उम्र 49 साल पुत्र ईशरा
6 शंकरलाल उम्र 47 साल पुत्र ईशरा समस्त जाति माली निवासीगण चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मेदाराम उम्र 69 साल पुत्र भोलाराम
2 नानचाराम उम्र 65 साल पुत्र भोलाराम
3 गणेश उम्र 55 साल पुत्र भोलाराम
4 मूलाराम उम्र 52 साल पुत्र भोलाराम
5 गोकुल उम्र 49 साल पुत्र भोलाराम
6 दौलाराम उम्र 72 साल पुत्र भोलाराम
7 हनुमान उम्र 97 साल फौत
7/1 रूड़मल पुत्र हनुमान
7/2 अमरा पुत्र हनुमान
7/3 चन्द्राराम पुत्र हनुमान
समस्त जाति माली निवासीगण चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
8 शाखा प्रबन्धक जरिये एस.बी.बी.जे. हाल एसबीआई शाखा गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी हाल गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

9 उप पंजीयक अधिकारी गुढ़ागौड़जी उप तहसील गुढ़ागौड़जी वर्तमान तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।
10 भूमिधारक तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.04.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत बउनवानी प्रकरण मेदाराम आदि बनाम बीरबल आदि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 377/2016

उपस्थिति :

1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 377/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 3.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 3.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 514/130 रकबा 0.20 हैक्टेयर ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज. में अवस्थित है के बाबत में रेस्पोडेन्टस/वादीगण ने एक वादपत्र विचारण न्यायालय के समक्ष बउनवानी मेदाराम आदि बनाम बीरबल वगै. बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 29.12.2016 को प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 61, 574/130 व 130 ग्राम हीरवाना में अवस्थित है संवत 2012 से लेकर आज तक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 का कब्जा एवं गलत खातेदारी होना जाहीर कर प्रार्थना पत्र पेश किया। अदालत हाजा के समक्ष अपीलान्टस की ओर से जवाब पेश हुआ कि अपीलान्टस का अपीलान्ट के हिस्से तक कब्जा काश्त चला आ रहा है राजस्व रिकार्ड भी अपीलान्टस का हिस्से तक चला आ रहा है। जबाब पेश हुआ। बाद सुनवाई कर विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार अनोवदकगण/अपीलान्ट को दावे के निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए दिनांक 18.04.2023 को पाबन्द कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आदि बिन्दुओं पर विवेचन नहीं किया गया होने से तथाकथित निर्णय सीपीसी के प्रावधान के प्रतिकूल होने से कानूनन तथाकथित निर्णय दिनांक 18.04.2023 अपास्त होने योग्य है। ग्राम हीरवाना में भूरा नाम का व्यक्ति था भूराराम के चार पुत्र हुये जो निम्न प्रकार है महादेवा, भोला, ईशरा व हनुमान हुये। भूराराम का देहान्त हो चुका है विरासत का नामान्तकरण स्व.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूराराम के पुत्रान महादेवा, भोलाराम, ईशरा हनुमान का विरासत का नामान्तकरण धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत भरा गया। मौजूदा स्थिति में पत्रावली पर ऐसा कोई भी किसी प्रकार का दस्तावेज रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि 2012 से प्रार्थना पत्र के निर्णय तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 का कब्जा काश्त साबित है। विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पत्र में वर्णित विवादित भूमियां अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 1 से 7 को विरासत में प्राप्त है, विरासत में प्राप्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त को नजर अंदाज कर पारित निर्णय दिनांक 18.04.2023 विरूद्ध कानून होने से अपास्त होने योग्य है। विवादित भूमियों के बाबत में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 7 ने घोषणार्थ, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड का प्रस्तुत किया, सर्वप्रथम घोषणा के अभाव में विभाजन का दावा चलने योग्य नहीं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पास मौजूदा स्थिति में वादग्रस्त भूमियों बाबत कोई टाईटल एवं खातेदारी नहीं है जब खातेदार ही नहीं है तो विभाजन संभव नहीं है। विभाजन के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र सुनवाई योग्य नहीं तथा विभाजन के अभाव में रिकार्ड दुरूस्ती संभव नहीं है प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड के अनुसार भोलाराम के नाम से चला आ रहा है अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 खातेदार नहीं है कानूनन रिकार्डेड खातेदारान ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र करने का अधिकार है विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विपरित जाकर निर्णय दिनांक 18.04.2023 पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित भूमियां शामलाती काश्त की भूमियां है बिना विधिवत बंटवारे के प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त कानूनन माना जाता है विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय कानून को नजर अंदाज कर मात्र अपीलान्ट को पाबन्द किया जाना मौन रूप से बंटवारा को प्रथम दृष्टया साबित होता है जबकि बंटवारा का निर्णय दावा में तय होना है और बंटवारा का वादपत्र विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्टस संख्या 7 हनुमान का लगभग 5 साल समय व्यतीत हो गया है। मरा हुआ व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष न्यायिक कार्य विधि विरूद्ध है विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.04.2016 खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कह रखा था कि जब भी आपकी न्यायालय में आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जायेगा प्रत्येक तारीख पेश पर आने की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्टस अपने अधिवक्ता के निर्देशन पर विश्वास भरोसा कर विचारण न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी कर बुलाने का इन्तजार करते रहे अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से तारीख पेशी का मालुमात करने के लिए आये तब वकील साहब ने बतया कि आपकी पत्रावली में 18.04.2023 को निस्तारण कर दिया गया तत्पश्चात अपीलान्ट ने निर्णय दिनांक 18.04.2023 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से राय मसहरा कर अपील खर्चा एवं अपील फीस की व्यवस्था करने लग गये। अपीलान्ट खेतीहर व्यक्ति है। मात्र खेती कार्य से ही आजीविका का संचालन होता है वर्तमान समय में बाजरा मोठ ग्वार की फसल बुआई एवं निराई का काम चल रहा है। फसल में अत्यधिक खर्चा हो रहा है। फसल खर्चा के साथ साथ अपील खर्चा एवं फीस की व्यवस्था में समय लग गया है। अपीलान्ट ने अपील जानबूझकर नहीं बल्कि मजबूरीवश विलम्ब हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है। धारा 5 मियाद अवधि का प्रार्थना पत्र अलग से सादर प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य हितो का निर्धारण मूलवाद में होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो एवं विवादित भूमि खूर्द बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। विचारण न्यायालय को ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद करने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

आदेश पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अनावेदक अपीलांट को पाबंद कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर